संख्या-173/2022/442/22-2-2022-17(388)/2022

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12 दिसम्बर, 2022

विषय:- जिला कारागार, कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हारून पुत्र श्री यासीन, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7419/प्रोवेशन-3/फार्म-ए/(एम-10.01.2022) दिनांक-09.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हारून पुत्र श्री यासीन, अकबपुर सुनहटी, थाना-कैराना, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 17.04.2000 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के लड़के सन्दीप राम गुप्ता का मन्दिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद जमुना जी से पानी लेने जाते समय अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को 1-सत्र परीक्षण संख्या-973/2000 में भा0द0वि0 की धारा-364ए, 368 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-09, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 05.03.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, बन्दी के भविष्य मं अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगें और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की आर्थिक सामाजिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 17.04.2000 को 02 सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी के लड़के सन्दीप राम गुप्ता का मन्दिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद जमुना जी से पानी लेने जाते समय अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओ की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हारून पुत्र श्री यासीन को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हारून (बन्दी संख्या-95/19) पुत्र श्री यासीन, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-173/2022/442(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर ।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, कासगंज ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-173/2022/442/22-2-2022-17(388)/2022

दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हारून पुत्र श्री यासीन, अकबपुर सुनहटी, थाना-कैराना, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 17.04.2000 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के लड़के सन्दीप राम गुप्ता का मन्दिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद जमुना जी से पानी लेने जाते समय अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को 1-सत्र परीक्षण संख्या-973/2000 में भा0द0वि0 की धारा-364ए, 368 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-09, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 05.03.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, बन्दी के भविष्य मं अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगें और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की आर्थिक सामाजिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 17.04.2000 को 02 सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी के लड़के सन्दीप राम गुप्ता का मन्दिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद जमुना जी से पानी लेने जाते समय अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओ की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हारून पुत्र श्री यासीन को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

(कृष्ण कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।